Haryana Police (हरियाणा पुलिस)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दं.प्र. प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 27/02/2024 13:29 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	109
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 27/02/2024 Time (समय): 12:55 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 27/02/2024 13:06 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): L INSP PARMILA

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 12/07/1976 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS ACB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS ACB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9485600335

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सेवानिवृत निरीक्षक जयभगवान		Father's Name: श्री दरियाव सिंह	1. 1315,सैक्टर 04 रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA
2	श्रीमति सतवन्ती		Husband's Name: जयभगवान	1. 1315,सैक्टर 04 रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

प्रबन्धक अफसर,
थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक मण्डल, रोहतक।
श्रीमान जी,

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

श्री जगदीश पुत्र श्री गोपीराम वासी गांव निन्दाना जिला रोहतक की शिकायत के आधार पर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हाल एन्टी करप्शन ब्यूरो (ह0), पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 1996-98/आई-6/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 16.12.2018 अनुसार जाँच क्रमांक 01 दिनांक 08.02.2018 रोहतक दर्ज की गई थी। जांच में निम्नलिखित आरोपों की पडताल निरीक्षक प्रमिला, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक द्वारा की गई है:-

आरोप नं. 1:- आरोपी द्वारा सैक्टर-4 रोहतक में प्लाट नं0 1315 वर्ष 2012 में अपनी पत्नी सत्यवंती के नाम 269 वर्ग गज खरीदकर उस पर आलीशान मकान बनाने बारे।

आरोप नं. 2:- आरोपी द्वारा वर्ष 2008 में किशनपुरा रोहतक में 410 वर्ग गज व बसंत विहार में 366 वर्ग गज का प्लाट अपनी पत्नी सत्यवंती के नाम खरीदने बारे।

आरोप नं. 3:- आरोपी द्वारा वर्ष 2013 में अपनी बेटी ज्योति की शादी में 25 लाख रू खर्च किये गये। शादी में टोयोटा कार नं0 एच0आर0-12यू-3535 दी गई।

आरोप नं. 4:- आरोपी द्वारा अपने बेटों अरूण व मोहित व बेटी ज्योति की शिक्षा पर 30 लाख रू खर्च किये।

दौराने जांच अंकित किये गये कथनों व हासिल किये गऐ प्रलेखों तथा की गई पडताल से पाया गया है कि प्रतिवादी जयभगवान, सेवानिवृत निरीक्षक पुत्र श्री दरियाव सिंह निवासी गांव मकडोली कलां, जिला रोहतक हाल निवासी मकान नं0 1315, सैक्टर-4, रोहतक दिनांक 08.07.1982 को हरियाणा पुलिस में बतौर सिपाही नियुक्त होना पाया गया। प्रतिवादी दिनांक 30.06.2018 को प्रतिवादी बतौर निरीक्षक तृतीय वाहिनी भारतीय रिजर्व बल सुनारियां रोहतक से सेवानिवृत होना पाया गया। प्रतिवादी द्वारा पेश शपथ पत्र अनुसार प्रतिवादी के परिवार में प्रतिवादी के अतिरिक्त प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती, बेटा अरूण बजाड (शादीशुदा) व मोहित बजाड (अविवाहित) तथा बेटी ज्योति (शादीशुदा) होने पाये गये। जांच के दौरान प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2016-17 में विभाग में जमा करवाये गये चल-अचल सम्पति विवरण की छाया प्रति प्रस्तुत की गई व इसके अतिरिक्त उसके पास कोई और चल-अचल सम्पति ना होने बारे शपथ पत्र पेश किया गया।

जांच के दौरान दिनांक 01.05.1983 से 30.06.2018 तक प्रतिवादी जयभगवान को कुल 44,93,186/-रू0 बतौर सैलरी पुलिस विभाग से प्राप्त होनी पाई गई।

1. प्रतिवादी जय भगवान द्वारा बीमा राशी मु0 50,000/- की एक पॉलिसी नं0 170183498 दिनांक 28.08.1989 को करवाई जानी पाई गई, जिसकी मु0 826/-रू छः माही किस्त जानी पाई गई जोकि दिनांक 28.08.2019 को पॉलिसी परिपक्व होनी पाई गई। जिसके अनुसार प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.08.1989 से दिनांक 08.02.2018 तक मु0 48,734/-रू (59x82648,734/-रू) जमा करवाये जाने पाये गये, परन्तु जांच अवधि के दौरान पॉलिसी से कोई राशी प्राप्त होनी नही पाई गई। जो जांच अवधि उपरान्त इस पॉलिसी के दिनांक 28.08.2019 को परिपक्व होने उपरान्त मु0 1,78,700/-रू0 प्राप्त होने पाये गये।

Anti Corruption Bureau Police Station Range Rohtak

2. प्रतिवादी जय भगवान द्वारा बीमा राशी मु0 1,00,000/- की एक पॉलिसी नं0 174781053 दिनांक 28.11.2005 को करवाई जानी पाई गई, जिसकी मु0 2454/-रू छः माही किस्त जानी पाई गई। जिसके अनुसार जांच अवधि में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 28.11.2005 से दिनांक 08.02.2018 तक मु0 63,804/-रू (26X245463,804/-रू) जमा करवाये जाने पाये गये तथा इस पॉलिसी से दावा के रूप में दिनांक 28.11.2009 को मु0 10,000/-रू, दिनांक 28.11.2013 को मु0 10,000/-रू व दिनांक 28.11.2017 को मु0 10,000/-रू जो कुल 30,000/-रू प्राप्त होने पाये गये।

3. प्रतिवादी जय भगवान की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती के नाम बीमा राशी मु0 1,50,000/- की एक पॉलिसी नं0 174781059 दिनांक 28.12.2005 को करवाई जानी पाई गई, जिसकी मु0 3255/-रू छः माही किस्त जानी पाई गई। जिसके अनुसार जांच अवधि में दिनांक 28.12.2005 से दिनांक 08.02.2018 तक मु0 84,630/-रू (26X3255 84,630/-रू) जमा करवाये जाने पाये गये तथा इस पॉलिसी से दावा के रूप में दिनांक 28.12.2009 को मु0 15,000/-रू, दिनांक 24.01.2014 को मु0 15,000/-रू व दिनांक 28.12.2017 को मु0 15,000/-रू जो कुल 45,000/-रू प्राप्त होने पाये गये।

जांच के दौरान प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती व उसके लडके अरूण बजाड के नाम हाऊसिंग लोन खाता संख्या 311700001578 एल0आई0सी0, हाऊसिंग फाईनैंस लि0, रोहतक में पाया गया, जिसके अनुसार दिनांक 10.06.2013 को मु0 8,50,000/-रू, दिनांक 24.06.2013 को मु0 4,50,000/- व दिनांक 18.02.2014 को मु0 2,00,000/-रू जो कुल मु0 15,00,000/-रू का हाऊसिंग लोन लिया जाना पाया गया, जिसको दिनांक 03.10.2015 तक पूर्ण करके बन्द करवाया जाना पाया गया। इस 15 लाख रू के लोन का भुगतान ब्याज मु0 2,42,629/-रू सहित कुल 17,42,629/-रू

भरकर पूर्ण किया जाना पाया गया।

जांच के दौरान प्रतिवादी निरीक्षक जय भगवान का बचत बैंक खाता संख्या 11075392545 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रोहतक में पाया गया। जो बैंक से खाता खुलने की तिथि 19.09.2003 से दिनांक 14.12.2006 तक रिकार्ड उपलब्ध नही हो सका। बैंक द्वारा दिनांक 15.12.2006 से लेकर दिनांक 31.03.2018 तक का विवरण उपलब्ध करवाया गया। जिसके अनुसार दिनांक 15.12.2006 को बैंक खाता में मु0 98,160/-रू जमा पाये गये तथा दिनांक 08.02.2018 को मु0 50,622/-रू शेष राशी पाई गई।

जांच के दौरान प्रतिवादी के लडके श्री अरूण बजाड के बैंक खाता संख्या 55141129731 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रोहतक में पाया गया जो खाता खुलने की तिथि 17.07.2010 से लेकर 31.03.2018 तक का विवरण प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार दिनांक 17.07.2010 को बैंक खाता में मु0 1000/-रू जमा पाये गये तथा दिनांक 31.03.2018 को मु0 17,696/-रू शेष राशी पाई गई।

जांच के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रोहतक से प्रतिवादी के लडके श्री अरूण बजाड द्वारा लिये गये कार लोन मु0 10,20,000/-रू बारे लोन खाता संख्या 37077151877 का खाता अनुसार दिनांक 10.08.2017 से दिनांक 08.02.2018 तक श्री अरूण बजाड द्वारा मु0 16,600/-रू की मासिक किस्तो में मु0 1,09,600/-रू जमा करवाये जाने पाये गये। उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा उक्त कार लोन के सम्बन्ध में कार खरीद व लोन राशी खर्च बारे कुछ नही बतलाया गया और ना ही इस राशी के खर्च बारे कुछ बतलाया है। इसलिए उपरोक्त लोन राशी को आय व खर्च में नही जोडा गया है, केवल बैंक को भरी गई किस्तों को खर्च में लिया गया है।

जांच के दौरान प्रतिवादी के लडके श्री मोहित बजाड का बैंक खाता संख्या 00033001100202 दा रोहतक सैन्ट्रल को-ओप्रेटिव बैंक रोहतक में पाया गया, जिसके अनुसार दिनांक 15.05.2016 को बैंक खाता में मु0 1000/-रू0 जमा पाये गये तथा दिनांक 08.02.2018 को मु0 9,537/-रू शेष राशी पाई गई।

जांच के दौरान प्रतिवादी के लडके अरूण बजाड ने वर्ष 2004 से 2008 तक वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज रोहतक से बी0टेक0 की डिग्री प्राप्त की जानी पाई गई। जिसकी पढाई पर प्रथम वर्ष फीस मु0 42,500/-रू, द्वितीय वर्ष फीस मु0 45,640/-रू, तृतीय वर्ष फीस मु0 45,940/-रू तथा चतुर्थ वर्ष मु0 46,240/-रू जो कुल मु0 1,80,320/-रू बतौर फीस खर्च किये जाने पाये गये।

जांच के दौरान प्रतिवादी निरीक्षक जय भगवान की गांव मकडौली कलां जिला रोहतक में खेतीबाडी की जमीन 24 कनाल 10 मरला लगभग 3 एकड पाई गई जो इस खेडी बाडी की भूमि पर फसल से जनवरी 2001 से दिसम्बर 2017 तक प्रतिवादी को कुल मु0 12,56,992/-रू0 आय होनी पाई गई।

जांच के दौरान प्रतिवादी व उसके परिवार के सदस्यों के नाम निम्न चल-अचल सम्पति होनी पाई गईः-

1. वसीका संख्या 3719 दिनांक 02.08.1990 अनुसार 225 वर्गगज का एक प्लाट नं0 112, रोहतक में प्रतिवादी जय भगवान के नाम पंजीकृत होना पाया गया, जिस पर खरीद कीमत मु0 6,000/-रू व स्टाम्प डियुटी मु0 750/-रू सहित कुल मु0 6,750/-रू खर्च होने पाये गये। जिसको वसीका संख्या 7747 दिनाकं 31.08.2018 तबदील मलकियत (Blood Relation Transfer Deed) अनुसार शुन्य खर्च राशी पर प्रतिवादी जय भगवान द्वारा अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती के नाम करवाया जाना पाया गया।

2. वसीका संख्या 5375 दिनांक 05.10.2000 अनुसार 225 वर्ग गज (7 मरला) का एक प्लाट मौजा पाडा, नजदीक चांदराम डेयरी, नगर पालिका, रोहतक में प्रतिवादी जय भगवान की धर्मपत्नी श्रीमति सत्यवंती (112.5 गज) व श्रीमती कांतादेवी धर्मपत्नी श्री जगत सिंह निवासी मुरादपुर टेकणा रोहतक (112.5 गज) के नाम पंजीकृत होना पाया गया, जिस पर खरीद कीमत मु0 67,500/-रू व स्टाम्प डियुटी मु0 10470/-रू सहित कुल मु0 77,970/-रू खर्च होने पाये गये। जिसमें प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती वे. आधा हिस्से अनुसार मु0 38,985/-रू खर्चराशी की जानी पाई गई। पडताल पर वसीका संख्या 12566 दिनांक 30.11.2018 अनुसार उपरोक्त श्रीमति कांता देवी धर्मपत्नी श्री जगत सिंह निवासी मुरादपुर टेकणा रोहतक द्वारा उक्त प्लाट में अपना हिस्सा 112.5 वर्गगज को अपनी बहन श्रीमती सत्यवंती धर्म पत्नी श्री जय भगवान के नाम बिना किसी प्रतिफल के हस्तान्तरण किया जाना पाया गया।

3. वसीका संख्या 5376 दिनांक 05.10.2000 अनुसार 360 वर्ग गज (12 मरला) का एक प्लाट मौजा पाडा, नजदीक चांदराम डेयरी, नगर पालिका, रोहतक में प्रतिवादी जय भगवान की धर्मपत्नी श्रीमति सत्यवंती व श्रीमती कांतादेवी धर्मपत्नी श्री जगत सिंह निवासी मुरादपुर टेकणा रोहतक के नाम समभाग में पंजीकृत होना पाया गया, जिस पर खरीद कीमत मु0 1,08,000/-रू व स्टाम्प डियुटी मु0 16,740/-रू सहित कुल मु0 1,24,740/-रू खर्च होने पाये गये। जिसमें

प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती के आधा हिस्से अनुसार मु0 62,370/-रू खर्च राशी की जानी पाई गई।

4. वसीका संख्या 5854 दिनांक 25.08.2005 अनुसार भूमि 410 वर्गगज (14 मरला) मौजा पाडा, किशनपुरा, नगर पालिका रोहतक में प्रतिवादी जय भगवान की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती के नाम पंजीकृत होना पाया गया, जिस पर खरीद कीमत मु0 7,38,000/-रू व स्टाम्प डियुटी मु0 44,280/-सहित कुल मु0 7,82,280/-रू खर्च होने पाये गये।

5. वसीका संख्या 2058 दिनांक 05.06.2006 अनुसार 26 कनाल 19 मरला खेती बाडी जमीन गांव मकडौली कलां, जिला रोहतक में श्रीमती ओमपति, श्रीमती कांता पुत्री श्री दरियाव सिंह व श्री अशोक व श्री रामधारी पुत्र तथा श्रीमती सुनीता पुत्री श्रीमती कलां पुत्री श्री दरियाव सिंह (प्रतिवादी जय भगवान की बहन व भान्जों) द्वारा दादा लाही जमीन प्रतिवादी जय भगवान व उसके भाई राम प्रकाश पुत्र दरिया के नाम समभाग में सम्पति अधिकार त्याग सलेख अनुसार बिना किसी लाभ के शुन्य राशी में पंजीकृत करवाई जानी पाई गई।

6. वसीका संख्या 5309 दिनांक 09.09.2008 अनुसार भूमि 366.66 वर्गगज (प्लाट नं0 7 रकबा 183.33 वर्गगज व प्लाट नं0 8 183.33 वर्ग गज) मौजा पाडा, बसंत विहार, सोनीपत रोड, नगर निगम रोहतक में प्रतिवादी जय भगवान की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती के नाम पंजीकृत होना पाया गया, जिस पर खरीद कीमत मु0 16,13,500/-रू व स्टाम्प डियुटी मु0 80,680/-रू तथा रजिस्ट्रेशन फीस मु0 10,000/-रू सहित कुल मु0 17,04,180/-रू खर्च होने पाये गये।

7. वसीका संख्या 10308 दिनांक 16.11.2010 अनुसार 450 वर्गगज का एक प्लाट, गावं मकडौली खुर्द, जिला रोहतक में प्रतिवादी जय भगवान की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती के नाम पंजीकृत होना पाया गया, जिस पर खरीद कीमत मु0 4,50,000/-रू व स्टाम्प डियुटी मु0 13,500/-रू तथा रजिस्ट्रेशन फीस मु0 1,000/-रू सहित कुल मु0 4,64,500/-रू खर्च होने पाये गये।

8. वसीका संख्या 4465 दिनांक 26.07.2013 अनुसार 225.12 वर्गमीटर का एक प्लाट/मकान नं0 1315, सैक्टर-4, एक्सटैन्शन, रोहतक में प्रतिवादी जय भगवान की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती के नाम पंजीकृत होना पाया गया, जिस पर खरीद कीमत मु0 12,15,648/-रू व स्टाम्प डियुटी मु0 60,800/-रू सहित कुल मु0 12,76,448/-रू खर्च होने पाये गये।

9. वसीका संख्या 12117 दिनांक 12.01.2016 अनुसार 64.77 वर्गगज का एक मकान, मौजा पाडा, रोहतक अन्दर आबादी उतम विहार, रोहतक में प्रतिवादी जय भगवान की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती के नाम पंजीकृत होना पाया गया, जिस पर खरीद कीमत मु0 6,02,000/-रू व स्टाम्प डियुटी मु0 30,100/-रू तथा रजिस्ट्रेशन फीस मु0 5,000/-रू सहित कुल मु0 6,37,100/-रू खर्च होने पाये गये।

10. एक प्लाट नं0 538, सैक्टर-9, बहादुरगढ प्रतिवादी जयभगवान के पिताजी स्व0 श्री दरियाव सिंह के नाम दिनांक 22.08.2000 को मु0 2,61,164/-रू में अलाट होना पाया गया। जिसको स्व0 श्री दरियाव सिंह की मृत्यु उपरान्त वसीयत के आधार पर श्रीमति सत्यवंती धर्मपत्नी श्री जयभगवान के नाम दिनांक 27.01.2006 में रिअलाट किया जाना पाया गया।

11. एक नई मोटर साईकिल बजाज डिस्कवर रजि0 नं0 एच0आर0-12एम-3490 प्रतिवादी जय भगवान के लडके अरूण बजाड के नाम दिनांक 29.07.2009 को पंजीकृत होनी पाई गई, जिसकी कीमत बारे रिकार्ड प्राप्त नही हुआ। जिस सम्बन्ध में स्थानीय बाजार से पताजोही अनुसार मोटर साईकिल की अनुमानत कीमत मु0 50,000/-रू आंकी गई है।

12. एक नई कार टोयोटा ईटीयोस लिवा रजि0 नं0 एच0आर0-12यू-3535 प्रतिवादी जय भगवान की लडकी ज्योति के नाम दिनांक 21.12.2012 को पंजीकृत होनी पाई गई, जिसके रजि0 पर मु0 23,315/-रू टैक्स लगाया जाना पाया गया। जिस सम्बन्ध में सत्यम आटो सर्व प्रा0लि0 रोहतक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार इस कार खरीद पर मु0 6,10,920/-रू खर्च होने पाये गये है। जो रिकार्ड अनुसार उपरोक्त कार पर कुल मु0 6,34,235/-रू खर्च होने पाये गये।

उल्लेखनीय है कि जांच में शिकायत के साथ श्री सज्जन सिंह पुत्र श्री मुंशीराम निवासी म0नं0 828/31, प्रित विहार, रोहतक, श्री जगत सिंह पुत्र श्री बजे सिंह निवासी म0नं0 205/12, किशनपुरा रोहतक, श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व0 श्री रामपत निवासी म0नं0 810/22, झंग कालोनी, रोहतक, श्रीमती सत्यवंती पत्नी श्री जयभगवान निवासी म0नं0 1315, सैक्टर-4, रेाहतक, श्री जयदेव पुत्र श्री धर्मबीर सिंह निवासी गांव टिटोली, जिला रोहतक, श्री सुधीर हुड्डा पुत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी म0नं0 1079, सेक्टर-2, रोहतक, श्री गौरव पुत्र श्री सुधीर निवासी गांव गधपुर जिला रेवाडी के शपथ-पत्र भी प्राप्त हुये, जिनके अनुसार प्रतिवादी जयभगवान को श्री सज्जन सिंह उपरोक्त से अगस्त 2008 में 3 लाख उधार प्राप्त हुये, जिनको बाद में प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2016 में वापिस लौटाया गया और इसके अलावा प्रतिवादी की लडकी ज्योति की शादी के समय दिनांक 24.11.2012 को भी श्री सज्जन सिंह उपरोक्त द्वारा प्रतिवादी जय भगवान को 3 लाख रू देने बारे

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

शपथ किया हुआ है। इसी प्रकार प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवंती की माताजी श्रीमति सीता देवी द्वारा भी अपने शपथ पत्र में अपनी पुत्री को उनके पति स्व0 श्री रामपत द्वारा म0नं0 1315, सैक्टर-4, रोहतक की खरीद के समय 5 लाख रू0 सहायता देने बारे शपथ किया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमति सत्यवंती द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार उनके किशनपुरा रोहतक स्थित प्लाट 410 वर्गगज को उनके ससुर स्व0 श्री दरियाव सिंह (स्वतंत्रता सेनानी) द्वारा खरीदकर देने बारे शपथ किया है। इनके अतिरिक्त प्रतियादी के दोस्त श्री जयदेव उपरोक्त द्वारा अगस्त 2008 में 3 लाख रू उधार, श्री सुधीर हुड्डा उपरोक्त द्वारा अगस्त 2008 में 9 लाख रू0 उधार व श्री गौरव उपरोक्त द्वारा अगस्त 2008 में 2 लाख रू0 उधार दिये जाने, जिनको बाद में वर्ष 2016 में प्रतिवादी द्वारा वापिस लौटाया जाने बारे शपथ किया है।

इसके अतिरिक्त जांच के दौरान तकनीकी अधिकारी श्री विजेन्द्रकुमार, उप मण्डल अधिकारी, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला से प्रतिवादी के रिहायशी मकान नं0 1315, सैक्टर-4, एक्सटैन्शन, रोहतक के निर्माण खर्च बारे आंकलन करवाया गया। जो आंकलन रिपोर्ट अंनुसार प्रतिवादी द्वारा अपने उपरोक्त रिहायशी मकान के निर्माण पर मु0 37,00,000/-रू खर्च किये जाने पाये गये।

उल्लेखनीय है कि जांच के दौरान प्रतिवादी द्वारा कोई सहयोग नही किया गया और बार-बार कहने पर प्रतिवादी द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित आय-व्यय विवरण बारे स्टेटमैन्ट (प्रोफार्मा I से VI) भरकर नही दिया गया और जांच में प्रतिवादी पर उसकी लडकी ज्योति की शादी पर लाखों रू0 खर्च करने व बच्चो की पढाई खर्च राशी बारे आरोपों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी व विवरण आदि नही दिया गया।

जांच के दौरान प्रतिवादी की संयुक्त परिवार सहित चल-अचल सम्पति बारे प्राप्त सूचना/दस्तावेजों व कथनों तथा तैयार की आय-व्यय तालिका अनुसार नीयत जांच अवधि निर्धारण (चैक पीरियड-पनोली दाराबशा दारूवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य ए0आई0आर0-1988, एस0सी0-88) दिनांक 01.01.2000 से दिनांक 08.02.2018 तक में प्रतिवादी की संयुक्त परिवार आय मु0 1,21,89,577/-रू होनी पाई गई और व्यय मु0 1,58,91,156/-रू होना पाया गया, जो आय-व्यय तालिका अनुसार प्रतिवादी ने अपनी संयुक्त परिवार आय से मु0 37,01,579/-रू अधिक खर्च किये जाने पाये गये है। जोकि आय-व्यय तालिका अनुसार प्रतिवादी की आय से व्यय 30 प्रतिशत अधिक होना पाया गया है। इसलिए प्रतिवादी जयभगवान, सेवानिवृत निरीक्षक पुत्र श्री दरियाव सिंह निवासी गांव मकडोली कलां, जिला रोहतक हाल निवासी मकान नं0 1315, सैक्टर-4, रोहतक के विरूद्ध धारा 13(1)E r/w 13(2) P.C Act 1988 के अधीन आपराधिक अभियोग अंकित करने व दौराने अनुसंधान प्रतिवादी जयभगवान से विभाग द्वारा निर्धारित आय-व्यय विवरण बारे स्टेटमैन्ट (प्रोफार्मा I से VI) भरवाकर प्रतिवादी द्वारा उसकी लडकी ज्योति की शादी पर खर्च राशी व प्रतिवादी के बच्चों की पढाई पर खर्च राशी बारे आरोप को देख लिए जाने का सुझाव दिया गया था।

महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0), पंचकुला के यादि क्रमांक 18243/I-5/ACB (H) दिनांक 06.11.2023 के अनुसार प्रतिवादी जयभगवान उपरोक्त के खिलाफ धारा 13(1)E r/w 13(2) P.C Act 1988 व प्रतिवादी की पत्नी सतवन्ती के खिलाफ धारा 109 भा.द.स. के तहत अभियोग दर्ज करने वा तफतीश के दौरान इस कार्यकाल के दौरान जो Disappropriat Assest की गणना छुट गई है, उसको जोडने बारे आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः प्रतिवादी जयभगवान व उसकी पत्नी सतवन्ती उपरोक्त के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अफसरान बाला को बजरिया टेलिफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाऐ व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाऐ। अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी और अधिकारी/कर्मचारी या व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी देख जिया जावे। मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त मुकदमा की तकमील तफतीश अमल में लाई जावेगी। हस्ता अंग्रेजी Parmila insp (प्रमिला), निरीक्षक,थाना एन्टी करप्शन ब्यूरो,रोहतक मण्डल, रोहतक।

अज थाना- हस्व आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 06 दिनांक 27.02.24 धारा 13(1)E r/w 13(2) P.C Act 1988 व धारा 109 IPC PC ACT PS ACB RTK दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक निरीक्षक फतेह सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक के हवाले की जाएगी व HC कपील न0 238/झज्जर के हवाले स्पेशल रिपोर्ट की जाकर डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक को देने के लिये गुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से महिला निरीक्षक प्रमीला एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक की हाजरी से दर्ज रजिस्टर किया गया है।

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range Rohtak

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): FATEH SINGH Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 84 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Parmila

Rank (पद): L / Inspector

No. 189 SPT

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Rohtak Range Rohtak